न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–02/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. विश्राम पुत्र स्व0 श्री मूल्या,
2. राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री मूल्या जाति जाटव निवासीयान ग्राम डूमेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0 (वारिस काबिज जायदाद मृतक मूल्या पुत्र शिम्भू)

..... वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर राज0 ।
2. तहसीलदार अलवर तहसील व जिला अलवर राज0 ।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1. श्री जनार्दन शर्मा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–20.12.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 31.8.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक आराजी ख0 नं0 313 जिसके हाल ख0 नं0 497 रकबा 1.03 है0 एवं 496 रकबा 66 ऐयर व अन्य खसरा नम्बरान कायम किये गये हैं जो कि वाके ग्राम डूमेड़ा तहसील व जिला अलवर में स्थित है । साबिक आराजी ख0 नं0 313 का बहुत बड़ा रकबा था जिसके 5 बीधा 14 बिस्वा पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब से तथा उससे पूर्व से वादीगण के बुर्जुगान काबिज रहकर काश्त करते थे तथा अपनी जिस्मानी मेहनत व निजी लागत से उक्त आराजी को काबिल काश्त बनाया है तथा उसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा वादीगण के पिता श्री मूल्या पुत्र शिम्भ को दि0 2.8.1964 को आवंटित कर दीं थी जिसका अमल सम्वत् 2021 के राजस्व रेकार्ड में कर दिया गया है । इस प्रकार वादीगण के पिता ताजिन्दगी विवादित आराजी साबक ख0 नं0 313 हाल ख0 नं0 497 एवं 496 पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उनकी फसल भी रेकार्ड में दर्ज की हुई है तथा वादीगण विवादित आराजी पर बदस्तूर बिना रोकटोक के आज दिनांक तक काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु हाल सैटलमेन्ट के दौरान विवादित आराजी को राजस्व / सैटलमेन्ट

कर्मचारियों व अधिकारियों ने खिलाफ मौका व खिलाफ रेकार्ड सिवायचक दर्ज कर दिया जिसका कि उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं था जबकि वादीगण के पिता का आवंटन आदेश भी किसी प्रकार से निरस्त नहीं किया है । प्रतिवादीगण उक्त गलत इन्द्राज की आड़ में विवादित आराजी से बेदखल करना चाहते हैं । इसलिए प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्धान अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनकर वादी का वाद दि0 31.8.2015 को खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 31.8.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की गई । अपीलांट अभिभाषक ने अतिरिक्त पत्रावली के रूप में आवंटन आदेश की मूल पत्रावली अभिलेख भण्डार अलवर से तलब करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहत अदालत में पेश वाद के तथ्यों को दोहराया तथा तहत अदालत में आवंटन आदेश दिनांक 2.8.1964 का सम्वत् 2021 के राजस्व रेकार्ड में अंकन का दस्तावेज पेश करने, इसके उपरान्त आगामी रेकार्ड में भी आवंटन आदेश के अंकन का रेकार्ड तथा कब्जे संबंधी रेकार्ड तथा साक्ष्य वादी में गवाह बयान मय शपथपत्र पेश करने का हवाला दिया ।

बहस में अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि विवादित आराजी हाल ख0 नं0 497 रकबा 1.03 है0 एवं ख0 नं0 496 रकबा 0.66 है0 साबिक ख0 नं0 313 से बने हैं । साबिक ख0 नं0 313 का रकबा काफी था इसमें से 5.14 बीघा जमीन पर वादीगण के पिता मूल्या पुत्र शिम्भू जाति जाटव निवासी डूमेड़ा जिला अलवर का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का कब्जा काश्त रहा है । उन्होंने इस आराजी को काबिल काश्त बनाया था । काश्त एवं कब्जे के आधार पर आवंटन कमेटी के द्वारा वादी के पिता मूल्या पुत्र शिम्भू जाति जाटव को उक्त साबिक आराजी ख0 नं0 313 में से 5.14 बीघा भूमि का दिनांक 2.8.1964 को आवंटन किया गया था जिसका अमल सम्वत् 2021 के राजस्व रेकार्ड में कर दिया । इस प्रकार विवादित आराजी पर वादीगण के पिता एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र वादीगण हमेशा से कब्जे काश्त में बदस्तूर चले आ रहे हैं । साबिक ख0 नं0 313 के हाल कई खसरा नम्बरान मिलान क्षेत्रफल के अनुसार बनाये गये हैं, उनमें से हाल ख0 नं0 497 रकबा 1.03 है0, 496 रकबा 0.66 है0 पर वादीगण का कब्जा काश्त चलता आ रहा है । वर्तमान राजस्व रेकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत् 2071 में भी मिन वादीगण की काश्त दर्ज रेकार्ड है ।

तहत अदालत की पत्रावली में पेश कब्जे संबंधी रेकार्ड का हवाला देते हुए वकील अपीलांट का कथन है कि एक्जी.1 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख0 नं0 313 में हाल ख0 नं0 497 रकबा 1.03 है, 496 रकबा 0.66 शामिल मिसल है । एक्जी.2 खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2071 वर्ष 2014–15 के अनुसार ख0 नं0 हाल 497 रकबा 1.03 है0 व ख0 नं0 499/993 रकबा 0.56 है0 पर अपीलांट/वादीगण की फसल काश्त चावल दर्ज रेकार्ड है । एक्जी.3 खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम डूमेडा सम्वत् 2021 का हवाला देते

हुए कहा कि साबिक ख0 नं0 313 कुल रकबा 35.19 बीघा सिवायचक लगानी पर विवरण विशेष कॉलम नं0 41 "अलोटी मूल्या पुत्र शिम्भू जाति चिमार 5.14 बीघा आवंटन आदेश 2.8.1964" का अंकन दर्ज रेकार्ड है तथा कब्जा काश्त 5 बीघा चना के रूप में दर्ज है । एक्जी.4 खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2025–27 का हवाला देते हुए कहा कि साबिक ख0 नं0 313 के रकबे में अन्य आवंटियों के साथ मूल्या पुत्र शिम्भू अलोटी का अंकन दर्ज रेकार्ड है । सम्वत् 2028 से 2030 की खसरा गिरदावरी में भी मूल्या पुत्र शिम्भू चमार सा0देह अलोटी रकबा 5.14 बीघा दर्ज है जिसमें मूल्या की काश्त का अंकन है । एक्जी.5 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031–34 के अनुसार भी मूल्या पुत्र शिम्भू चमार 5.14 बीघा का काश्त के रूप में अकन है । एक्जी.6 पेश कर कहा कि विवादित आराजी हाल ख0 नं0 496 रकबा 0.66 है0, 497 रकबा 1.03 है0 व ख0 नं0 499/993 रकबा 0.56 है0 बारानी जमीन है ।

अपीलांट अभिभाषक ने एक्जी.7 का हवाला देते हुए कहा कि अपीलांट/वादीगण गरीब आदमी है तथा कच्चे झौपड़ी में रहते थे, झौपड़ी में आग लगने के कारण उनके पास पुराने सभी दस्तावेज जल गये और उनके पास रेकार्ड के रूप में कुछ भी नहीं रहा । वादीगण/अपीलांट ने राजस्व अभिलेख भण्डार से मूल आवंटन रजिस्टर दिनांक 2.8.1964 की नकल का आवेदन दिनांक 3.12.2014 को किया तो तहसीलदार भू–अभिलेख ने उनके नकल आवेदन पर यह कहते हुए कि "श्रीमान् जी आवंटन रजिस्टर जीर्ण–शीर्ण होने से नकल जारी किया जाना सम्भव नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है । एस.डी. अति0 ऑफिस कानूनगो, अलवर दिनांक 23.12.2014" हमें सूचित किया है । बहस में आगे कहा कि अपीलांट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि न्यायालय हाजा मूल आवंटन रजिस्टर को अभिलेख से मंगवाकर अवलोकन करावें जिससे कि गरीब व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो सकें । पत्रावली की आदेशिका दिनांक 6.4.2017 के अनुसार पहले तो पत्रावली तलबी के आदेश जारी किये गये, बाद में यह आदेश दिये कि आवंटन से संबंधित दस्तावेज पत्रावली में संलग्न है । अतः रजिस्टर तलब करने की आवश्यकता नहीं है ।

बहस में आगे कहा कि बन्दोबस्त विभाग ने विवादित आराजी जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त था, रेकार्ड जमाबन्दी में सिवायचक दर्ज कर दिया । वादीगण ने खातेदार दर्ज करने की डिक्री के लिए तहत न्यायालय ने वादीगण का दावा गलत रूप से खारिज कर दियया । बहस में आगे कहा कि इसी आराजी पर तथा इस तरह के आवंटन के आधार पर बहुत सारे आवंटियों को खातेदारी प्रदान कर दी गई है, परन्तु वादीगण/अपीलांट को तहत अदालत से न्याय प्राप्त नहीं हुआ और वादीगण का वाद गलत व कानून के विपरीत खारिज कर दिया ।

अपीलांट अपील के माध्यम से विवादित आराजी ख0 नं0 496 व 497 रकबा कुल 1.69 है0 पर अपने आपको आवंटन आदेश के आधार पर कब्जे काश्त के आधार पर, राजस्व रेकार्ड में आवंटन आदेश का अमल होने तथा आदिनांक तक कब्जे काश्त के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित कराने की इस्तदुआ की है । बहस में अपीलांट अभिभाषक का ये भी कथन है कि उनके आवंटन आदेश दिनांक 2.8.1964 को आदिनांक तक चुनौती नहीं दी गई है और न ही उक्त आवंटन आदेश को निरस्त ही किया गया है । अतः अपीलांट विवादित आराजी हाल ख0 नं0 496 व 497 के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के

अधिकारी है । अधीनस्थ न्याययालय का निर्णय दिनांक 31.8.2015 को निरस्त करके वादीगण/अपीलांट को विवादित आराजी ख0 नं0 496 व 497 का आवंटन आदेश अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें ।

पैरोकार सरकार ने बहस जवाब में कथन किया कि वादीगण को खातेदारी के लिए स्वयं का रेकार्ड पेश करना चाहिए । बिना आवंटन आदेश, बिना रेकार्ड के आधार पर सिवायचक जमीन पर सीधे खातेदारी नहीं दी जा सकती है । पैरोकार सरकार ने बहस का विरोध करते हुए अपील खारिज करने की इस्तदुआ की ।

हमने विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत अदालत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा निर्णय से पूर्व पेश खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2073 वाके ग्राम डूमेडा तहसील अलवर का भी अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया ।

अपील के बिन्दुओं तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं बहस के आधार पर तथा उपखण्ड अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 31.8.2015 के अवलोकन उपरान्त इस अपील के निर्णय हेतु निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण हैं –

1. क्या विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 313 में से वादीगण/अपीलांट के पिता मूल्या को आराजी का आवंटन हुआ है ।
2. क्या उक्त विवादित आराजी पर वादीगण/अपीलांट का कब्जा काश्त रहा है ।
3. क्या अपीलांट विवादित आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है ।
4. क्या अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31.8.2015 निरस्त योग्य है या यथावत योग्य है ।

निर्णय हेतु हमने प्रथम बिन्दू का विवेचन निम्नानुसार रेकार्ड व साक्ष्य से किया है । अपीलांट अपील में यह कहकर भी आये है कि वादीगण के पिता को यह जमीन कब्जे काश्त के आधार पर दिनांक 2.8.1964 को आवंटित हुई है । वक्त आवंटन से ही विवादित आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में हैं, पहले उनके पिता के कब्जे काश्त में थी बाद में अपीलांट ने आवंटन आदेश स्वयं के पास उपलब्ध नही होने के संबंध में कहा है कि अपीलांट गरीब आदमी हैं और उनके दस्तावेज उनकी झौपड़ी में आग लगने से जल गये हैं । उन्होंने नकल के लिए आवेदन किया तो प्रार्थना पत्र पर यह अंकित किया कि आवंटन रजिस्टर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है । अतः नकल नहीं दी जा सकती है । न्यायालय हाजा को अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर यह भी निवेदन किया कि रेकार्ड सें रजिस्टर को मंगवा लिया जावें और अदालत अवलोकन कर सकती है जिससे अपीलांट को न्याय मिल सकें । न्यायालय के मत में नकल आवंटन आदेश के लिए अपीलांट इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं, न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 6.4.2017 में भी यही कहा गया है कि आवंटन के संबंध में निर्णय लेने के लिए पत्रावली में दस्तावेज मौजूद हैं । अतः आवंटन रजिस्टर नहीं मंगाने का निर्णय दिया गया ।

न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड खसरा गिरदावरी नकल सम्वत् 2021 में साबिक ख0 नं0 313 के रकबे में अपीलांट के पिता मूल्या पुत्र शिम्भू जाति चिमार की काश्त दर्ज है तथा उस पर आवंटन आदेश दिनांक 2.8.1964 का हवाला है जिसमें कुल रकबा 5.14 बीघा लिखा हुआ है । खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2025–27 एक्जी.4, नकल खसरा

गिरदावरी सम्वत् 2028–30 में भी उक्त आवंटन आदेश तथा काश्त का अंकन है । एक्जी.5 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031–34 में भी मूल्या पुत्र शिम्भू हाल परिवर्तनशील दस्तावेजों 2073 में भी हाल ख0 नं0 496 व 497 में राजेन्द्र, विश्राम मूल्या जाटव सा0 डूमेडा का कब्जे काश्त का अंकन है । इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता मूल्या पुत्र शिम्भू चिमार को आराजी ख0 नं0 32.13 के रकबे में से 5.14 बीघा का आवंटन हुआ है जिसका रेकार्ड खसरा गिरदावरी में अंकन है । जहां तक इस आवंटन आदेश का अंकन जमाबन्दी में नहीं होना या नामान्तकरण दर्ज नहीं होने का प्रश्न है तो इससे एक गरीब आवंटित परिवार का क्या दोष हो सकता है । यह राजस्व विभाग का दायित्व था कि वो उक्त आवंटन आदेश की तत्काल समय में ही पालना करते । अतः रेकार्ड व साक्ष्य तथा अभिलेख शाखा की रिपोर्ट व अपील के बिन्दुओं के आधार पर यह सही है कि विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 313 में से अपीलांट के पिता मूल्या पुत्र शिम्भू जाति जाटव को 5.14 बीघा आराजी का आवंटन हुआ है ।

द्वितीय बिन्दु की अपीलांट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त रहा है या नहीं । इस संबंध में अपीलांट ने कब्जे के लिए पूरा रेकार्ड पेश किया है । खसरा गिरदावरी सम्वत् 2021 से 2025–28, 2031–34 व हाल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2073 यह सिद्ध करती है कि विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त बदस्तूर चला आ रहा है ।

अपील के निर्णय हेतु तीसरे बिन्दु कि क्या अपीलांट विवादित आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है । इस संबंध में काश्त हेतु आवंटित आराजी के संबंध में यह प्रावधान है कि आवंटी पहले गैर खातेदार के रूप में रेकार्ड में दर्ज होता है और उसे बाद काश्त एवं कब्जे के आधार पर नियमानुसार आवंटी को शर्ते परी करने पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जाते हैं । यहां पर आवंटी अभी गैर खातेदार के रूप में भी दर्ज नहीं हुआ है । इसलिए सीधे ही खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । आवंटन के संबंध में उक्त विवेचन व रेकार्ड व साक्ष्य से कब्जा काश्त अपीलांट का होने से अपीलांट विवादित आराजी ख0 नं0 496 व 497 के कुल रकबे में से आंवटन आदेश के अनुसार 5.14 बीघा आराजी का गैर खातेदार के रूप में रेकार्ड में अपने आपको दर्ज कराने का अधिकारी है । उसके उपरान्त काश्त व लगान अदा करने के आधार पर आगे नियमानुसार खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है ।

चतुर्थ बिन्दु कि तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 31.8.2015 निरस्त योग्य है या यथावत योग्य है । इस संबंध में न्यायालय का यह मत है कि आराजी आवंटन, आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए काश्तकार राजस्व अदलत में ही वाद दायर करते हैं । तहत अदालत को उपरोक्त दस्तावेज व विवेचन के आधार पर अपीलांट को खातेदार अधिकार दिये जाने पर नियमान्तर्गत प्रकरण होने के कारण खातेदारी अधिकार पर विचार करना चाहिए जो नहीं किया गया है बल्कि अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज कर दिया । अतः तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 31.8.2015 निरस्त किये जाने योग्य है और अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट के पिता मूल्या पुत्र शिम्भू जाति जाटव सा0 डूमेडा को विवादित आराजी ख0 नं0 313 में से 5.14 बीघा आराजी दिनांक

2.8.1964 को आवंटित किये जाने से, साबिक रेकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत् 2021, 2025–28, 2029–32 में आवंटन का हवाला होने से हाल खसरा परिवर्तनशील पी–14 सम्वत् 2073 सन् 2016–17 से तथा साक्ष्य से भी कब्जा काश्त सिद्ध होने पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाने से खातेदारी प्राप्त करने के स्थान पर अभी गैर खातेदार के रूप में रेकार्ड दर्ज करने के अधिकारी पाये जाने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 31.8.2015 निरस्त किया जाता है । अपीलांट को विवादित आराजी हाल ख0 नं0 497 रकबा 1.03 है0 व 496 रबा 0.66 है0 में से 0.43 है0 का गैर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । रेस्पो0/प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे अपीलांट/वादीगण की उक्त आराजी में व कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । हाल जमाबन्दी ख0 नं0 हाल 497 व 496 वाके ग्राम डूमेडा तहसील अलवर में अपीलांट को गैर खातेदार के रूप में दर्ज रेकार्ड करें तथा आगे काश्त व लगान के आधार पर नियमानुसार खातेदारी के आवेदन पर खातेदारी प्रदान करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/12 20/12/17

(कमलराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर